NCPEDP - Javed Abidi Fellowship on Disability

Supported by Azim Premji Foundation

Baseline Report

थानेश्वर कुमार निषाद

thannenishad944@gmail.com

Durg, Chhattisgarh

Inclusion of Disabled Persons in Employment Guarantee scheme of Government (सरकार की रोजगार गारंटी योजना में विकलांग व्यक्तियों का समावेशन)

Contents

1 अनुभाग: परिचय रायपुर जिला का इतिहास Error! Bookmark not defined.3

2 अनुभाग: विक्लांगजनो के वर्तमान स्थिति एवं विक्लांगजनो की रोजगार की स्थिति.....4

3 अध्यन का उद्देश्य एवं अध्ययन के प्रकार 8

4 अध्ययन के निष्कर्ष.....9

5 रिफ्रेंस रोजगार सबंधी शासकीय बजट.....13

1 अनुभाग: परिचय रायपुर जिला का इतिहास

1.1 परिचय

ग्राम पंचायत दतरेंगा, कांठा ठीह, कान्दूल और डोमा जनपद धरसींवा, जिला रायपुर के छत्तीसगढ़ में स्थित है! छत्तीसगढ़ के राजधानी होने पस्चात सभी कोई भी समान आसानी से प्राप्त होता है|
रायपुर का इतिहास भी रतनपुर के कलचुरी वंश के विभाजन से जुड़ा हुआ है. रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शत्ती ईस्वी में की गई थी, ऐसा इसीलिये क्योंकि रतनपुर के कलचुरी वंश को अपने सम्राज्य का विभाजन करने की आवश्यक्ता पड़ी थी और कलचुरियों के राज्य विभाजन के परिणाम स्वरूप रायपुर की स्थापना हुई|
यह राज्य की राजधानी है और रायपुर ज़िले का मुख्यालय है। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा शहर होने के साथ-साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 मे भारत का 6वां सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है।

इस गांवो की स्थिति देखा जाय तो गांव रोजगार व जरूरत का सामानों के लिए रायपुर शहर से निर्भर रहते है ! गांव शहर की दूरी 15 किलोमीटर के रेंज में स्थापित है|

Patrika news https://www.patrika.com/ripur-news/raipur-know-what-is-the-history-of-capital-raipur-7576685/?amp=1

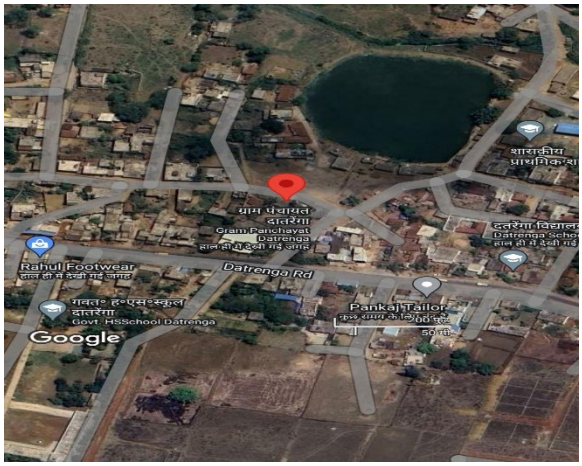

Raipur https://g.co/kgs/Ra8iUR

रायपुर जिले में कुल चार जनपद पंचायत -धरसींवा,तिल्दा,आरंग,अभनपुर है|

धरसींवा ब्लॉक जो कि यह रायपुर से 30 किलोमीटर के दूरी में स्थित है| धरसींवा के नजदीकी बड़े अलग अलग कंपनी है जो कि धरसींवा ब्लॉक में कुल 78 ग्रामपंचायत व आश्रित गांव 6 है इन ग्रमीण के लोग खेती के साथ कंपनियों में 75% लोग आश्रित है|

धरसीवा ब्लॉक में कूल 78 ग्राम पंचायत व 6आश्रित ग्राम है जो कि 2011 के सर्वे सूची की अनुसार विकलांगजनों की संख्या कुल 1184 है! महिला की संख्या जानकारी के अनुसार कुल 533 एवं पुरुष की जनसँख्या कुल 651है| आंकड़ा के अनुकूल देखा गया जिसमें विकलांगता के प्रकार में अस्थि बाधित की संख्या अधिक है| रायपुर जिला में 2011 सर्वेक्षण अनुसार शहरी जनसँख्या कुल 1276652 तथा ग्रामीण जनसँख्या कुल 884224है |

ग्रामीण स्तर पुरुषों की जनसंख्या कुल 444797 व महिलाओं की जनसँख्या कुल 439427 है! 2011 सर्वे सूची के अनुसार जिला में शहरी ग्रामीण में कुल 18091 विकलांगता की संख्या है! ये सभी विकलाँगताएँ अधिनियम 2016 के अनुरूप 21 प्रकार के विकलांगता में शामिल नही हुआ है!

1.2 मुख्य फसल एवं औध्योगिक छेत्र

ग्राम पंचायत दतरेंगा, कांठा ठीह, कान्दूल डोमा यह गांव लगभग आपस मे 4 किलो मीटर के रेंज में है और यहाँ के लोगो के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन व प्लाट है गांव के लोग अपने जमीन के माध्यम से कृषि कार्य में धान का उत्पादन 85% करते है जिसमे मुख्य रूप से (रबी व खरीफ़ फसल) के साथ ही कृषि में बड़े फार्म के माध्यम से सब्जी उत्पादन कार्य 15% लोग करते है! गांव के उनके परिवार के लोग रायपुर के स्थित बड़े बड़े कंपनीयो में 75% लोग मजदूरी कार्य करते है!

2 अनुभाग: विक्लांगजनो के वर्तमान स्थिति एवं विक्लांगजनो की रोजगार की स्थिति

2.1 साक्षरता एवं कुल आबादी

ग्राम पंचायत दतरेंगा एक मुख्य विद्यायल उच्चतर माध्यमिक शाला है जो कि आस पास के ग्राम कांठाठीह,कान्दूल,डोमा के लोग पढ़ाई के लिए दतरेंगा में शिक्षा ग्रहण करते है! ग्रामीण स्तर के लोग उस समय मे अपने बच्चों को बाहर भेजने कतराते थे अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार न हो वर्तमान के समय मे ग्रामीण के लोग जागरूक होकर अपने बच्चों को आगे विद्यालय कॉलेज पढाई करने के लिए रायपुर 15 किलोमीटर सफर करवाते है|

ग्राम पंचायत चार के अनुसार गांव की कुल आबादी 8700 में से साक्षर 4132 जिनकी 47.49 % है|		प्रतिशत
पुरुष की संख्या कुल	3538	40.66%
महिला की संख्या कुल	2992	34.39%
कुल बच्चो की संख्या	2170	24.94%

2.2 विकलांगजनो की वर्तमान स्थिति

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल मिलाकर, 2.21% भारतीय आबादी किसी न किसी तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त है। मतलब भारत में 2.68 करोड़ (26.8 मिलियन) लोग दिव्यांग हैं। एवं छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार दिव्यांग जनो की संख्या 6.24 लाख है! शोध के दौरान ऑनलाइन गूगल के माध्यम से जानकारी एकत्र किया है! छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिला के दिव्यांगजनो का डेटा एकत्र के माध्यम से 2011 के जनगणना के अनुसार 12000 दिव्यांगजन है! छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ तक पहुच नही अर्थात अधिनियम के तहत रोजागार गारन्टी के कार्य के बारे में जानकारी नही दिव्यांग व्यक्तियों को वर्तमान समय में इस योजना के तहत पहुँच एवं उस अधिनियम के तहत रोजगार से जोड़ने समुदाय, स्वयं सेवी संस्था, शोशल मीडिया, शासकीय अधिकारियों के साथ संपर्क कर विकलांगजनो को रोजगार व स्वरोजगार जोड़ने प्रयास किया! उस अधिनियम के तहत शासकीय विभागों में विक्लांगजनो के लिए लागू करवाने प्रयास कर रहा जा रहा है|

2.3 विकलांगजनो में रोजगार स्थिति

शोध के दौरान विकलांजन के रोजगार सबंधित जानकारी एकत्र किया ऑनलाइन पत्रिका न्यूज के माध्यम से पता चला कि भारत मे 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल दिव्यांगों में से मात्र 36 फीसदी को ही रोजगार हासिल है। पुरुष दिव्यांगों के 47 फीसदी की तुलना में 23 फीसदी महिला दिव्यांग कार्यरत हैं। बात अगर ग्रामीण भारत की हो तो 25 फीसदी महिला दिव्यांग रोजगार पर है, जबकि शहरी भारत में यह आंकड़ा केवल 16 फीसदी का है। वास्तविक ग्रामीण स्तर पर विक्लांगजनो के विशेष प्रशिक्षण कौशल और सामाजिक भेद भाव के कारण विकलांगजन पीछे हो जाते है और अपना आत्मविश्वास खो देते है | बजट पर देखा जाय तो भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के (अधिकार) अधीनियम के कार्यन्वयन बीके लिए योजना आबंटन पिछले साल के 240.39 रुपये से 90 करोड़ रुपये कम करके इस साल 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है |

पत्रिका न्यूज़ https://www.patrika.com/jaipur-news/only-36-of-the-country-s-total-divisive-people-get-employment-4759397/?amp=1

http://www.ccdisabilities.inc.in रायपुर का इतिहास Patrika News https://www.patrika.com/raipur-news/raipur-know-what-is-the-history-of-capital-raipur-7576685/?amp=1

शोध के दौरान यह यह भी पता चला महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 तहत वर्ष 2022 एवं 2023 में छत्तीसगढ़ में कुल दिव्यांगजनो की मनरेगा में पंजीकृत संख्या कुल 146398 है| कार्यरत दिव्यांगजनो की संख्या कुल 29518 है जबकि छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनो की संख्या अधिक है | धरसींवा विकासखंड के दिव्यांगजनो के मनरेगा में 128 दिव्यांगजनो पंजीकृत है| और 11 द्विव्यांगजन कार्यरत है | डेटा के अनुसार इस विषय पर स्टडी की

महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी अधिनियम कहता है कि “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य’ कार्य करने का अधिकार ‘है।

इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोज़गार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं।

अधिनियम पहली बार पी.व्ही. द्वारा 1991 में प्रस्तावित किया गया था। नरसिंह राव 2006 में, इसे संसद में अंत में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर, एनआरईजीए को 1 अप्रैल, 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था। इस क़ानून को सरकार द्वारा "दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम" कहा जाता है। विकास रिपोर्ट 2014, विश्व बैंक ने इसे "ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण" कहा।

मनरेगा को "एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयंसेवा किया गया था।" मनरेगा का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं) का निर्माण करें आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है।

मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत (जीपी) द्वारा लागू किया जाना है। ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है। जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम-गहन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रमीण स्तर पर तालाब निर्माण, नहर निर्माण आदि कार्य मे मिट्टी खनन कार्य चलता है इसमे गांव के नागरिक के पास जॉब कार्ड रहने पर मनरेगा कार्य मे शामिल होते है ! इसी प्रकार अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर लोगो के मनरेगा जॉब कार्ड में नाम होने पस्चात कार्य किया जाता है इस अधिनियम के तहत आध्यय 4:1:1 के अनुरूप जरूरत मंद महिलाओं या विकलांगजन को मेट के कार्यो में प्राथमिकता दिया जाना है! आर्टिकल आध्ययन किया मुझे महसूस हुआ कि जमीनी स्तर पर विकलांगजनो के आंकड़ों में बड़ा अंतर होने की संभावना है ! इस आधार पर गूगल फॉर्म के माध्यम से सर्वे फॉर्म बनाया विभिन्न तरह की रोजगार व स्वरोजगार सबंधित जानकारी एकत्रित की गई|

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम- इस अधिनियम अंतर्गत में ग्रामीण स्तर पर लोगो के मनरेगा जॉब कार्ड में नाम होने पस्चात कार्य किया जाता है इस अधिनियम के तहत आध्यय मेट 4:1:1 के अनुरूप जरूरत मंद महिलाओं या विकलांगजन को मेट के कार्यो में प्राथमिकता दिया जाना है!

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम- इस अधिनियम अंतर्गत आध्यय 9.3.1 अंतर्गत ऐसे सवेंदनशील विकलांग जैसे आटिज्म ,सेरेबल पाल्सी ,मानसिक, मन्बुद्धि एवं बहुदिव्यांग ये विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय न्यास 44 के तहत सरकार द्वारा मनरेगा कार्य मे शामिल करने विचार किया जाना है!

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार की प्रमुख योजना है। लगभग 12.84 करोड़ श्रमिकों के साथ संख्या के आधार पर यह यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना होने का दावा करती है।

यह अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है और अधिकार के रूप में, आवेदक को आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम अन्यथा इसके लिए मुआवजा का प्रावधान करता है।

यह योजना 2006-07 में 200 जिलों में शुरू की गई थी और अब भारत के 648 जिलों में फैल गई है। बजट 2019-20 में, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जो कि पिछले वर्षो के 71,000 करोड़ से लगभग 13% कम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा)

http://sau.cgstate.gov.in/schemesReport.sasmode=downloadFile&fileName=19_Operation_guideline_hindi_4thEdition2013.pdf

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बजट लिंक- https://testbook.com/question-answer/hn/what-is-the-amount-allocated-to-mahatma-gandhi-nat--5e09c872ee45cb0d0359298f/amp

विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016

1. विकलांगजन अधिकार अधिनियम2016 अनुरूप अध्याय 4 कौशल विकास नियोजन के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के भविष्य के लिए योजना, विशेषकर उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण और सरल बनाने और उसमें सहायता करने के लिए कार्यक्रम एवं योजना बनाना|
2. यह सुनिचित करना कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विकलांगजनों को पर्याप्त सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध है|
3. विकलांगजनो द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों के लिए बाजार व्यवस्थित करना |
4. प्रत्येक रोजगार में ऐसे विकलांगजनों की जानकारी रखना जो रोजगार की तलाश में है|

2.5 Methodology (क्रिया विधि)

विकलांग जनो के रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए साथ ही सोध के दौरान समस्याओं का चिंन्हाकन निम्न लिखित पद्धति अपनाई गई!

सर्वेक्षण में दो प्रकार डेटा स्तेमाल किया प्राथमिक आध्ययन द्वितीयक आध्ययन

प्राथमिक अध्ययन द्वारा सर्वेक्षण डेटा निम्न है |

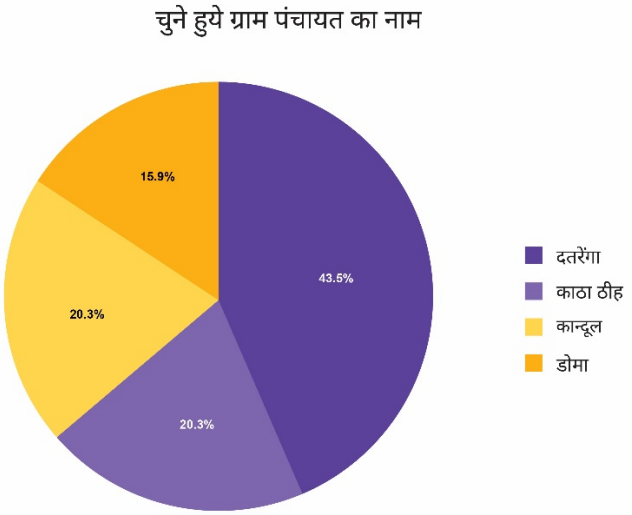

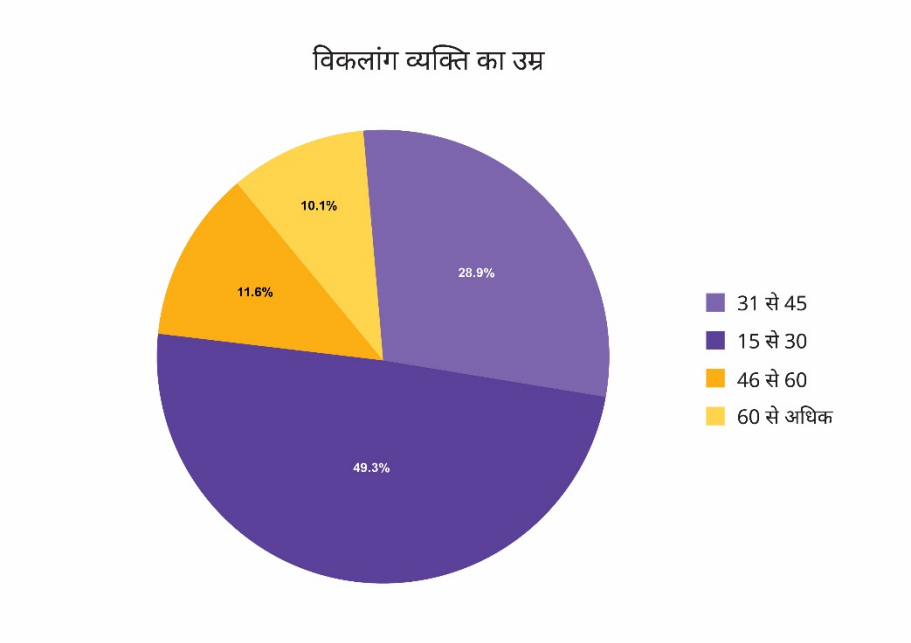

इस सर्वेक्षण में कुल 87 घर डोर टू डोर सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 30 वर्ष के विकलांगजन 49.3% का चिन्हाकन प्राप्त हुआ |

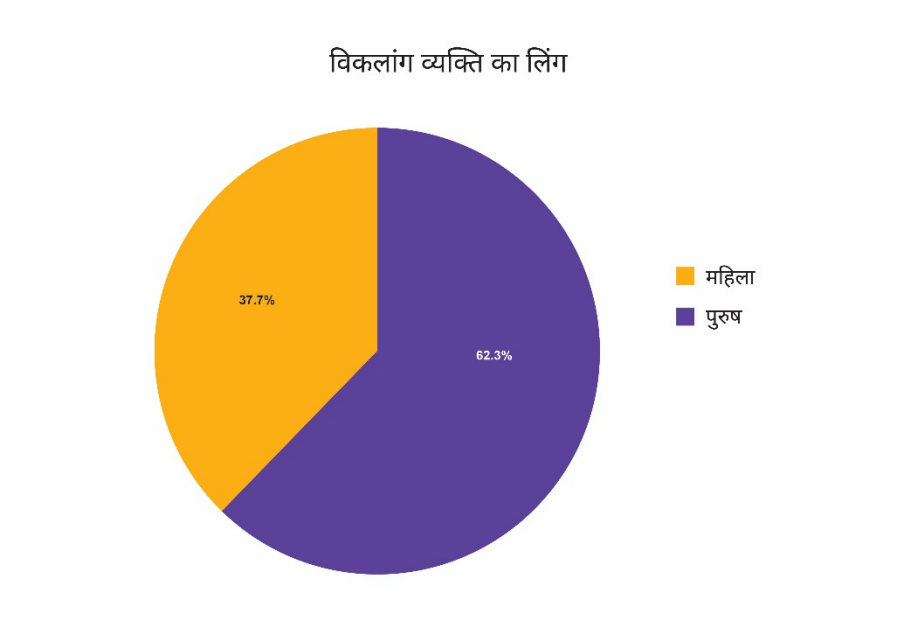

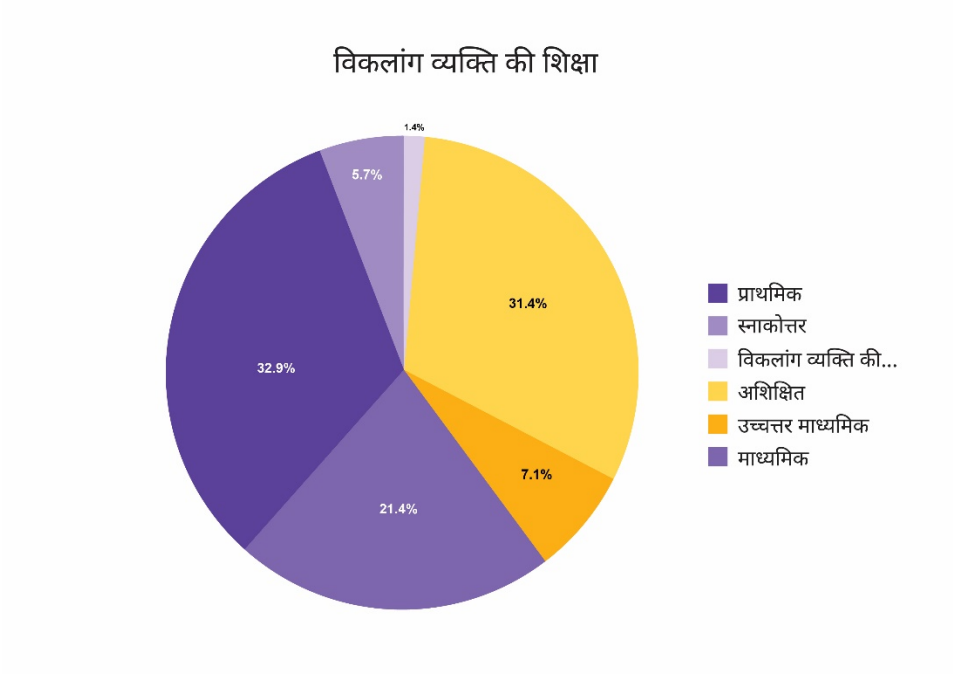

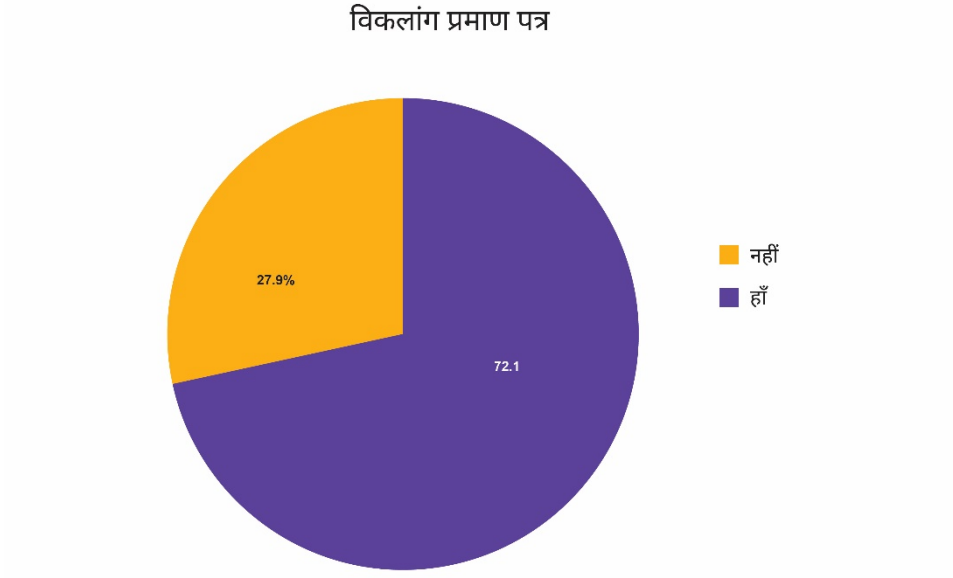

दिव्यांग प्रमाण पत्र 27.9%लोगो के पास नही पर वह शासन की योजनाओं से वंचित है |

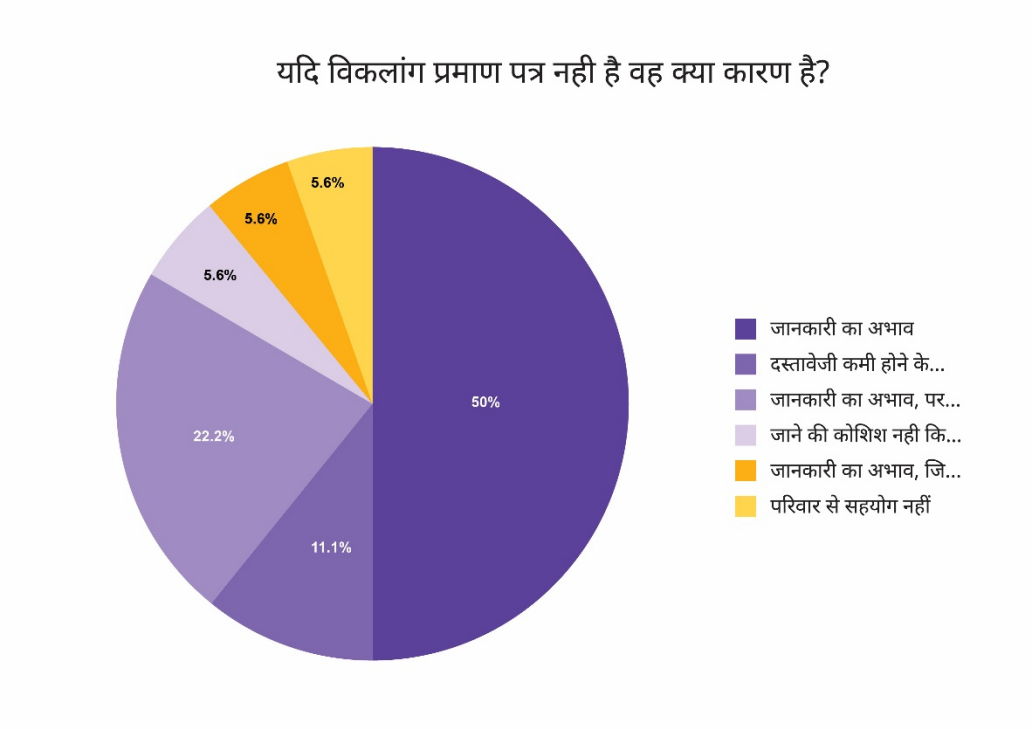
यदि विकलांग प्रमाण पत्र नही है वह क्या कारण है?
5.6%
5.6%
5.6%
50%
22.2%
11.1%
जानकारी का अभाव
दस्तावेजी कमी होने के...
जानकारी का अभाव, पर...
जाने की कोशिश नही कि...
जानकारी का अभाव, जि...
परिवार से सहयोग नहीं

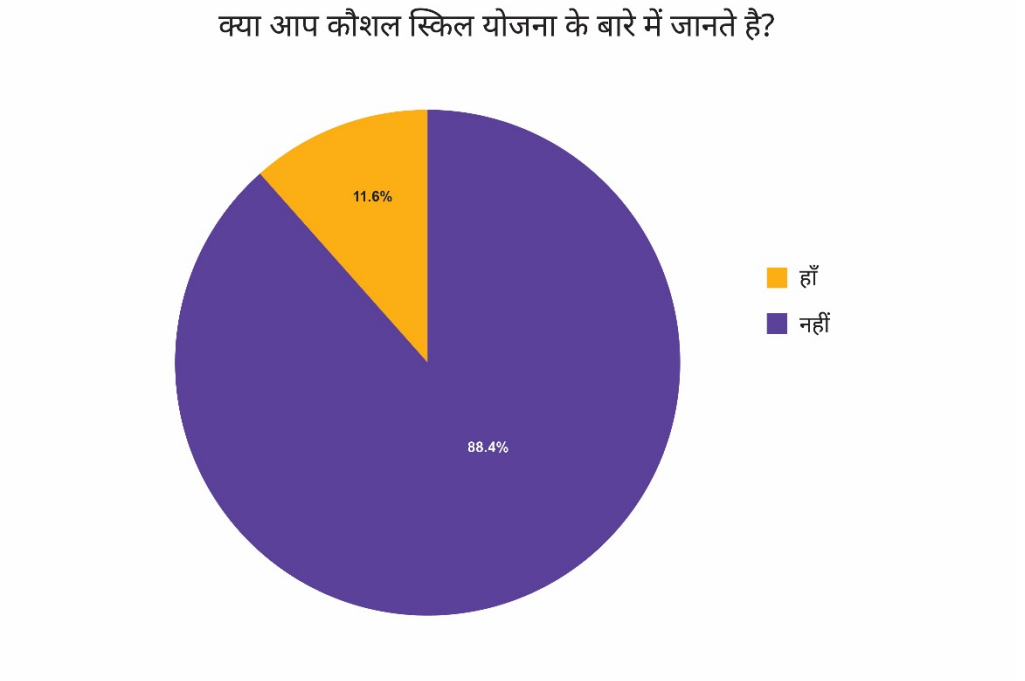
क्या आप कौशल स्किल योजना के बारे में जानते है?
11.6%
88.4%
हाँ
नहीं

कौशल स्किल जानकारी नहि होने कि कतार मे 88.4 % दिव्यांगजन रोजगार स्वरोजगार से वंचित होने की संभवना है |

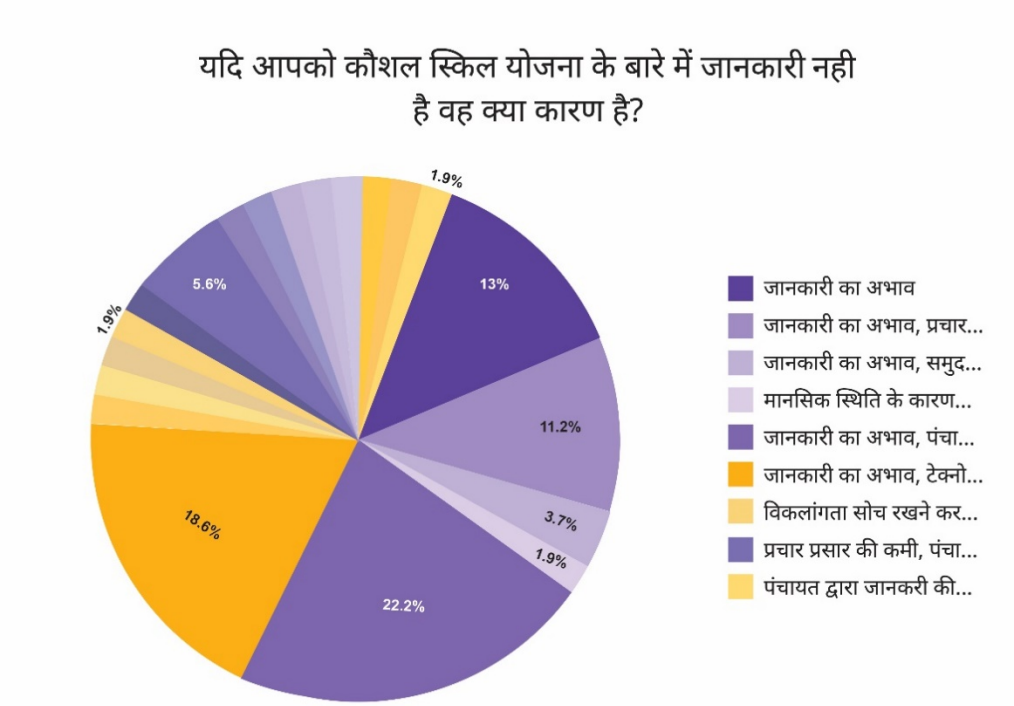

कौशल स्किल के बारे में जानकारी का अभाव है 5.6 % विकलांगजन जानकारी का अभाव है !बाकी विकलांगजन के मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है |

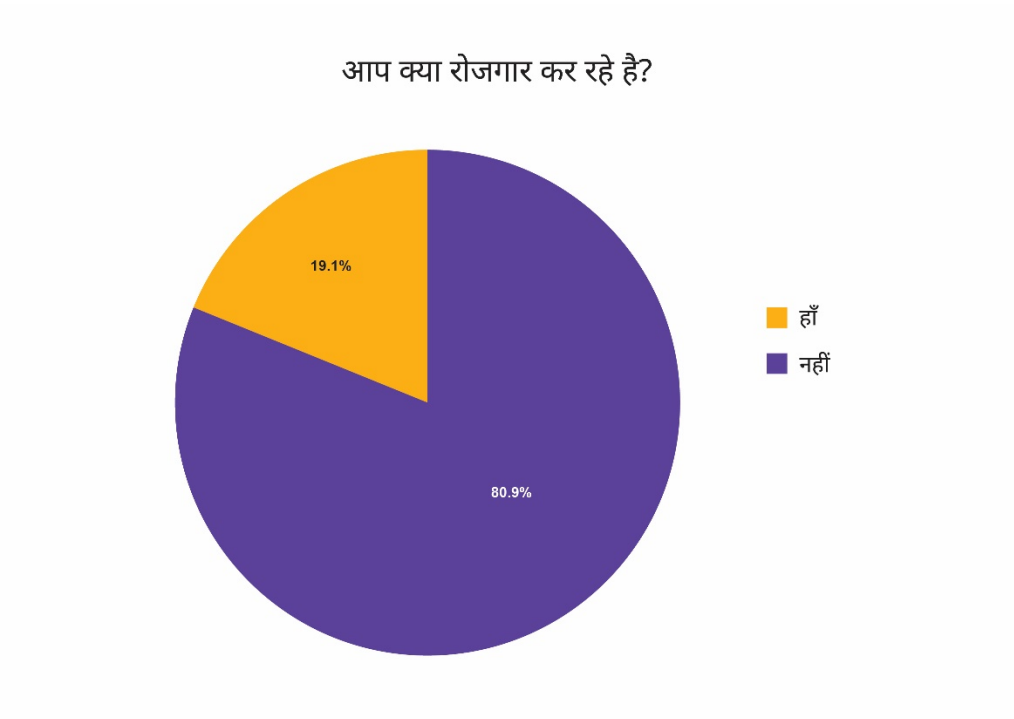

विकलांगजन 80.9% लोग बेरोजगार होने पर यह पता चलता कि कही कहि सरकारी योजनाओं से वंचित है |

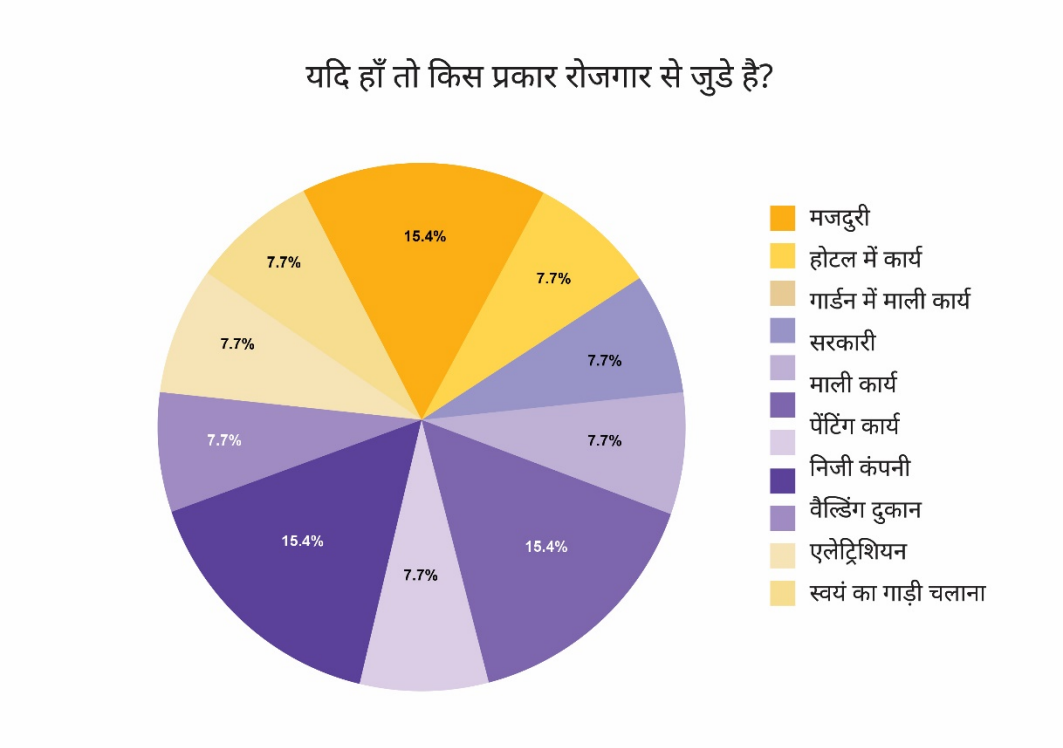

विकलांगजन रोजगार से जुड़े है ज्यादातर यह अनियमित कार्य कर रहे है

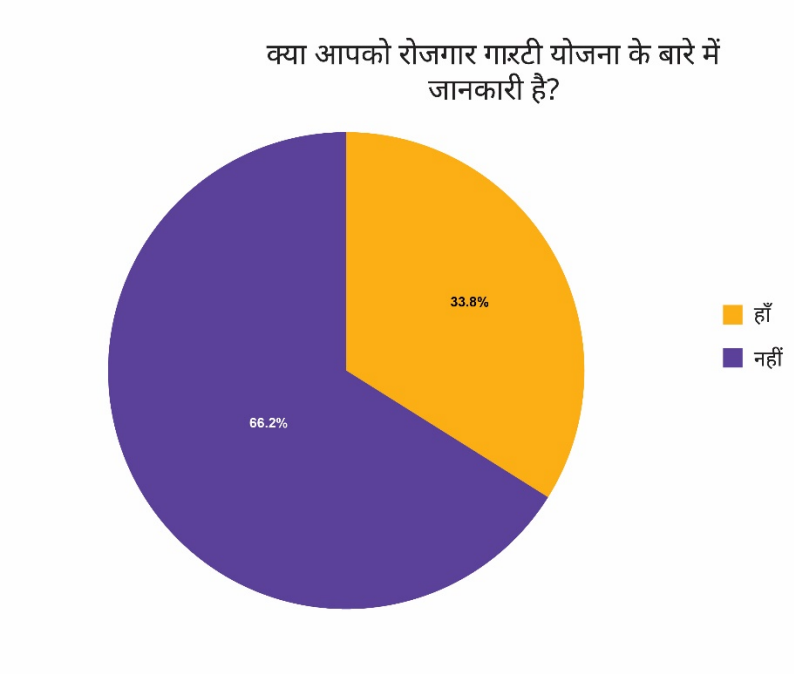

रोजगार गारंटी 62.2% लोग योजना के बारे में जानकारी नही है! इसमे यह पता चलता है वह इस योजना से वंचित है !

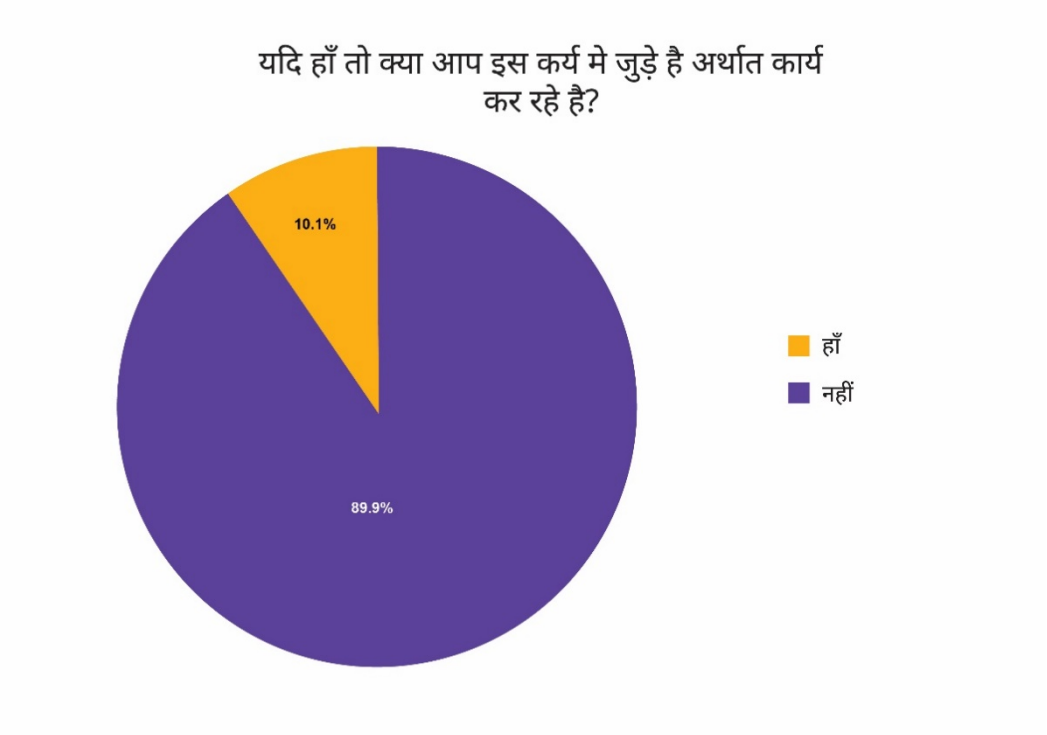

रोजगार गारंटी योजना के तहकार्य 89.9% लोग नही कर पा रहे है! जिसमे यह पता चलता है उस विकलांगजन पुनः रूप से जानकारी से वंचित है|

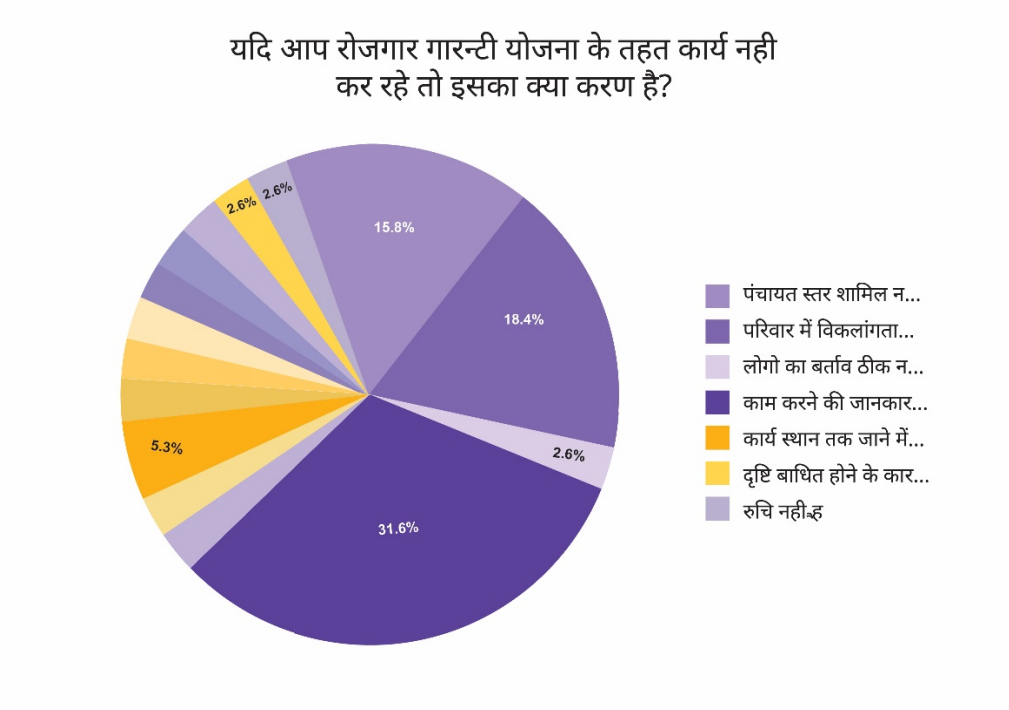
यदि आप रोजगार गारन्टी योजना के तहत कार्य नही कर रहे तो इसका क्या करण है?
15.8%
18.4%
2.6%
31.6%
5.3%
2.6%
2.6%
पंचायत स्तर शामिल न...
परिवार में विकलांगता...
लोगो का बर्ताव ठीक न...
काम करने की जानकार...
कार्य स्थान तक जाने में...
दृष्टि बाधित होने के कार...
रुचि नही ह

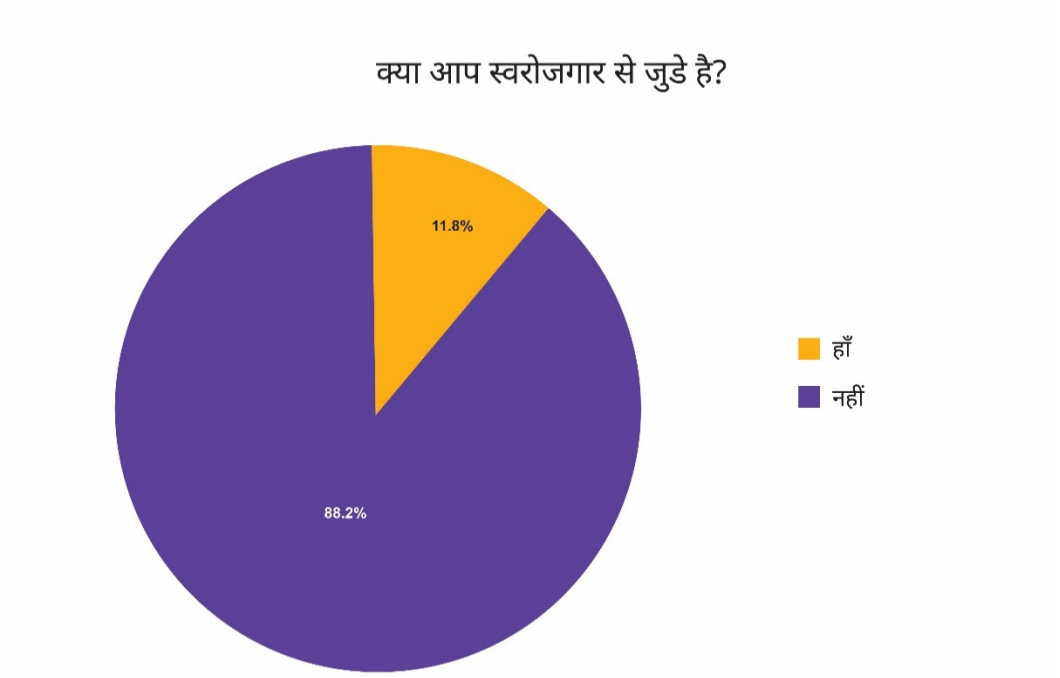
क्या आप स्वरोजगार से जुडे है?
11.8%
88.2%
हाँ
नहीं

3 अनुभाग 3

3.1 अध्ययन का उद्देश्य

ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो विकलांग जन रोजगार स्वरोजगार से वंचित है और डाटा के माध्यम से यह भी पता चलता है कि विकलांग जनों के लिए समुदाय के लोग जागरूक नहीं है! ना ही उनके ऊपर सोच रखते हैं! आज के समय में हमें विकलांगता के मुद्दों पर कार्य करने पर समुदाय के लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक ह! आज के समय मे भी विकलांग जन के लोकल शब्दों से ही उनको अपमानित करते है! विक्लांगजनो के घर से ही भेद भाव होता जिससे समुदाय के लोग प्रभावित होते है! हमे विकलांग जनो के लिए ग्रामीण स्तर पर अभियान चलाना होगा जिससे विकलांग जन को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और रोजगार स्वरोजगार से जोड़कर अपनी एक पहचान समुदाय में बेहतर बना सके!

वर्तमान समय मे ग्रामीण स्तर पर देखा जाय तो महिला विकलांग हो उन्हें उसके घर के अलावा समुदाय के लोग ताने सुनाते है आज भी यह समुदाय में सुधार नही हो पाया है! इस शोध के अनुसार विक्लांगजनो के समस्याओं को दूर करने निम्न बिंदुओं को अपनाया है |

- ग्रामीण स्तर विक्लांगजनो के लिए योजनाये उनके अधिकार को जानकारी के अभाव को समझना समझकर विकसित करना
- ग्रमीण स्तर पर लोगो को रोजगार सबंधित उनके साधनों को समझना
- विकलांगता के अधार पर उस विकलांग व्यक्ति के मन स्थिति पहचानना की वह कौन से रोजगार स्वरोजगार में रुचि रखते है
- विकलांग जनो के उनके अधिकारों को जानकारी प्राप्त नही होने के स्थिति को समझना
- समुदाय के लोगो को विकलांग जनो के प्रति भेदभाव हो रहा इस विषय को दूर कैसे किया जा सकता है समझना
- उस विकलांगता जनो को कौशल स्किल प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश देने उनके संसाधन को समझना
- सरकारी एवं निजी कंपनियों में रोज़गार की स्थिति को समझना
- विकलांग जनो को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य के शामिल होंने जागरूक करना
- सरकारी अधिकारी से समस्याओं को समाधान करने लगातार पैरवी करना

प्राथमिक आध्ययन

1. डोर टू डोर सर्वेक्षण पूर्ण किया
2. आँगन बाड़ी कार्यकर्ता के साथ संपर्क
3. आशा वर्कर एवम ग्राम के मुखिया के साथ संपर्क
4. ग्रामपंचायत प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत मिटिंग किया
5. प्रशिक्षण केंद्रों के अधिकारियों से संपर्क
6. समुदाय के लोगो से संपर्क
7. विकलांग जनो के अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क
8. स्वंय सेवी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत मिटिंग किया
9. विकलांगसंघठन के साथ मिटिंग किया
10. ग्रामीण विकलांग स्व सहायता समूह के साथ मिटिंग किया

ग्रामीण स्तर पर बेसलाइन सर्वे के अनुसार विक्लांगजनो रोजगार स्वरोजगार पर फोकस करे तो 80.9% बेरोजगार है

द्वितीयक आध्ययन

- **विकलांग जनो को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने व समस्याओं का का समाधान करने डेटा निम्न माध्यम से एकत्र किया !**
  1. ब्लॉक स्तर से विक्लांगजनो का डेटा एकत्र किया
  2. NRLM कार्यलय में विक्लांगजनो के स्व सहायता पर जनाकारी एकत्र किया
  3. निजी कंपनियों में विक्लांगजनो के रोजगार पर जानकारी लिए
  4. रोजगार गारंटी आर्टिकल अध्ययन किया
  5. विभिन्न सरकारी सबंधी अध्ययन किया

4 अनुभाग 4

4.1 Conclusion (निष्कर्ष)

रायपुर जिले के धरसीवा ब्लॉक के ग्रामीण स्तर पर एनसीपीडीपी जावेद आबिदी फेलोशिप के ओर से विकलांग जनों के रोजगार व स्वरोजगार की शोध शुरुआत 2021 के अक्टूबर माह में पहली बार फेलोशिप आयोजित हुआ प्राथमिक रूप से कुछ डाटा एकत्र किया ग्रामीण स्तर पर समुदाय के लोगों के साथ पंचायत अधिकारी के साथ संपर्क बनाया साथी विकलांग जनों के रोजगार स्वरोजगार संबंधित समस्याओं का समाधान करवाने पंचायत अधिकारी व समुदाय के लोगों के साथ समर्थन प्राप्त हुआ गांव में बहुत ऐसे विकलांग जनों की स्थिति गंभीरता जनक दिखाई दी जिसमें रोजगार स्वरोजगार तो दूर की बात है शासन की योजना की जानकारी पहुंच नहीं है नहीं ग्राम पंचायत स्तर पर विकलांग जनों के शासन की योजनाओं की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है सर्वेक्षण के आधार पर विकलांग जनो का पंचायत डेटा से अलग मैने 6 विकलांग व्यक्तियो का चिन्हाकंन किया जिनका नाम सूची निन्म है!

- पंचायत स्तर पर विकलांग लोगो को 7 प्रकार के विकलांगता को शामिल किया था सर्वेक्षण के दौरान विकलांगता प्रकार में सेरेबल पाल्सी,बौनापन, कुष्ट रोग से मुक्त ऐसे विकलनजनो का चिन्हाकन हुआ !

क्र.	नाम	विकलांगता	ग्राम पंचायत
1	ताना बाई	अस्थि बाधित	दतरेंगा
2	तेजराम ध्रुव	अस्थि बाधित	दतरेंगा
3	कौशेलया साहू	बौना पन	दतरेंगा
4	चंद्रशेखर गेडरे	अस्थि बाधित	डोमा
5	कौशेलया साहू	तेजाब हमला पीड़ित	कान्दूल
6	गौतम साहू	बौना पन	कान्दूल

1. सर्वेक्षण के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के साथ लगातार मिलने नेटवर्किंग बढ़ा
2. विकलांग व्यक्ति घर से बाहर निकलने सकोंच करते थे लगातार मिलने धीरे धीरे अधिकार कानून जानकारी प्राप्त करते रहे अब विकलांगजन बाहर निकलते है!
3. चार पंचायत के विकलांग व्यक्तियो से सर्वेक्षण किया जिसमे पता चला कुल49 विकलांग व्यक्ति जो कि बेरोजगार है कारण बताया विकलांगजन के पास कौशल स्किल की कमी है और पंचायत स्तर से हमे जानकारी नही मिलती अन्यथा विकलांग जन को काम मिलता है वो दूर रहता है उनके पास साधन नही है इस कारण पीछे रहते है
4. विकलांग प्रमाण पत्र में 27% व्यक्तियों के पास नही है कारण जनाकारी का आभव है!
5. सर्वेक्षण के दौरान विकलांग जनो के रोजगार स्वरोजगार सबंधी समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुई

4.2 स्टडी की कुछ फाइंडिंग

शासकीय विभागों द्वारा जैसे रोजगार कार्यलय में देखा गया है विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार "मार्गदर्शन"कैम्प आयोजन किया जाता है लेकिन विकलांगजनों को रोजगार में शामिल करने कैम्प का आयोजन नही किया जाता यदि विकलांगजन को शमिल करते है | तो इस प्रकार से रोजगार में

शामिल होने की संभावना है! जैसे ग्रामीण पंचायत स्तर माली व कम्प्यूटर पियून, ग्रामीण स्तर रोजगार गारंटी सक्षम अनुसार, विकलांग व्यक्तियों को स्किल अनुसार कंपनियों शामिल किया जाना, शासकीय भवन जहाँ लिफ्ट है| उस स्थान विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना | इस मुद्दा में मेरे द्वारा शासकीय विभागो में विकलांग व्यक्तियों के लिए वकालत किया जाएगा

धरसीवां ब्लाक के ग्रमीण स्तर पर रोजगार में अस्थि बाधित व मूक बधिर की विकलांगता मजदूरी की तरह अनियमित कार्य किया जा रहा है! स्व रोजगार पर नजर डालने पर जानकारी हुआ! विकलांग व्यक्तियों के माता पिता जो कि सक्षम है उस विकलांगजन के लिए छोटा सा व्यवसाय के लिए सहयोग करते है ऐसे विकलांग व्यक्तियो के माता पिता जो कि अक्षम है उस घर के विकलांगजन को न ही स्किल व योजनाओ तक पहुंच नही उस विकलांग व्यक्ति कुछ नही कर पा रहे है! स्व रोजगार के लिए में ग्रामीण स्तर पर विकलांग व्यक्तियों को स्व रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध सरकार द्वारा कराया जाता है यह योजना उस स्तर तक पहुंच नही है ग्रामीण पंचायत स्तर पर समुदाय में कामनिकेश का अभाव है जो कि विकलांग व्यक्तियों का रोजगार/ स्वरोजगार साधन सहयोग नही कर पाते ह! यह जानकारी फील्ड के दौरान एवं विकलांग संगठन के साथ मीटिंग में समस्या की जानकारी प्राप्त हुई है|

गुगल फॉर्म लिंक-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoFDXJlkLv00Z3fU8LtRAfBTacO2o2S_E9Z78710FQ1HZG3Q/viewform?usp=sf_link

5 अनुभाग 5

5.1 शोशल मीडिया लिंक

https://www.facebook.com/thaneshwar.nishad.54?mibextid=ZbWKwL

https://www.instagram.com/p/CpMZfgvLAP-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

5.2 अधिकारियों को दिए गए पत्र लिंक

https://drive.google.com/drive/folders/1ix0i2rCf5An7Jqy7jOs2pp0kr7jisq

केस स्टडी- नरेश रात्रे

नरेश रात्रे 44 वर्ष का है वे एस सी समुदाय से है वे ग्राम पंचायत दतरेंगा के निवासी है! यह गांव जो की धरसींवा विकासखंड रायपुर जिला में विकासखंड के मध्यवर्गीय में आता है यह गांव विकासखंड से

30 किलोमीटर, जिला से 15 किलोमीटर की दूरी में है! इस गांव के आस पास अधिक प्लाट व जमीन है यह गांव पढ़ाई में 50 प्रतिशत साक्षर है और 50 प्रतिशत बेरोजगार है!

नरेश जी के परिवार में जन्म से तीन लोग दृष्टि बाधित 100 प्रतिशत विकलांगता है नरेश जी विकलांगता के कारण वे शिक्षा प्राप्त नही कर पाए उनके स्तर पर स्कूल की दूरी 500 मीटर होने स्कूल में इनके लिए एक्सेसेबल नही था और उन्हें परिवार के सदस्यों को विशेष स्कूल के बारे में जानकारी नही था नरेश जी के माता पिता के मजदूरी से मासिक आय 4000रु हो जाती थी! परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नही था परिवार में खर्च से पैसा नही बच पता था स्थिति को समझते हुए नरेश जी को स्व रोजगार करने 2010 में बैंक से लोन लेने पहुंचा परन्तु बैंक द्वारा उसे लोन देने मना कर दिया गया था कि दृष्टि बाधित विकलांगता से स्व रोजगार नही कर पाओगे और नरेश जी को शासन की योजनाओ के बारे में जानकारी नही था बैंक से वापस लौट कर साहूकार से मिन्नते कर कर्ज के तौर पर 5000 रुपये लिया और उसने चलने वाला ठेला खरीदा और अपने पत्नी के साथ आलू ब्याज बेचने लगा करीब 2012-13 वर्ष तक साहूकार का कर्ज वापस किया और वह 2015 में एक स्थाई जगह एक पान का दुकान लगाकर व्यक्तिगत बेचने लगा और अपनी पत्नी को मजदूरी कार्य में लगा दिया अब इन दोनों की मासिक आय 4000 रुपये प्रतिमाह हो जाती है जिससे अपने परिवारों को आर्थिक सहयोग करने में मदद करते है

योजनाओ का होना विकलांगजनों तक कई कारको से जुड़ा है जैसे कि शासन द्वारा विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार ऋण प्रदाय योजना को हकीकत ज़मीनी स्तर पर पहुंचने व जानकारी होना उनकी एहिमयत और बढ़ जाएगी!

केस स्टडी- प्रभु धनकर

केस स्टडी- प्रभु धनकर 25 वर्ष का है वे ओबीसी समुदाय से है वे ग्राम पंचायत काठाठीह के निवासी है! यह गांव जो की धरसींवा विकासखंड रायपुर जिला में विकासखंड के छोटा गांव में आता है यह गांव विकासखंड से 29 किलोमीटर, जिला से 10 किलोमीटर की दूरी में है! यह गांव पढ़ाई में 70 प्रतिशत साक्षर है और 40 प्रतिशत बेरोजगार है! इस ग्राम 60 प्रतिशत लोग मजदूरी अनियमित करते है!

प्रभु धनकर जी के अस्थिबाधित 80 प्रतिशत विकलांगता है विकलांगता के कारण वे शिक्षा माध्यमिक तक कर पाए उनके स्तर पर स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर होने पर वह स्कूल नही जा पाए वे गांव से निकलने संकोच करते रहे और उनके परिवार के सदस्यों को विशेष स्कूल के बारे में जानकारी न विकलांगजनों के योजनाओ के बारे में नही था प्रभु धनकर के परिवार मजदूरी से मासिक आय 8000 रु हो जाती थी ! लेकिन प्रभु धनकर जी को काम करने का इच्छुक रहा वे अपने भविष्य बनाने में जुटा रहा वे अपने परिवार का सहयोग न लेते हुए सन 2017 में 20 वर्ष के उम्र में उन्होंने अपने पेंशन के राशि से अपने गांव के दुकान से सामान खरीदकर अपने सायकल से गांव के माध्यमिक स्कूल में बेचने लगे एक वर्ष तक उनका सामान नही बिक पा रहा था उनकी मन स्थिति स्थाई नही था उनकी सोच कमजोर होते चला आ रहा समुदाय में उन्हें गलत बर्ताव करने लगा!

जैसे तैसे अपना सामान बेचकर दो महीने तक समान बेचना बंद कर दिए उन्होंने पेंशन राशि इकठ्ठा करने लगे जिससे वे अपना सामान बढ़ा सकें उन्होंने अपने गांव से बाहर नही जाने के कारण उनका मन स्थिति विकास नही हो पाता था! उन्होंने पंचायत से गुहार लगाई लोन कहा मिल सकता है परन्तु पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी नही दे पाये उन्होंने का क्या काम कर सकोगे छोटा धंधा में ठीक रहो दो महीने बाद फिर से सामान लेकर उसी विद्यालय में अपना सामान बेचने लगे आदि समान दिन का 100 रु से 120 रुपये तक आय आने लगे लेकिन प्रभु धनकर जी को आगे किराना दुकान खोलने का हौसला रहा लेकिन वह गांव गक सीमित है मैने **NCPEDP** जावेद आबिदी कार्यक्रम के दौरान इस गांव के विकलांग व्यक्तियो से मिलकर लगातार क्रॉस डीसाबिलिटी नेटवर्किंग,अधिकार कानून व योजनाओ की जानकारी देने लगा इस दौरान प्रभु धनकर जी वे बाहर अपने सायकल से निकलने लगे नई नई स्वरोजगार जानकारी लेने में उनके मन स्थिति में विकास हुआ अपने अधिकार प्राप्त करने व जनाकारी एकत्र करने शासन विभाग तक पहुंचे वे अपने सायकिल से गांव विद्यालय के साथ अपने घर मे समान बेचने लगे! योजनाओ का होना विकलांगजनों तक कई कारको से जुड़ा है जैसे कि शासन द्वारा विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार ऋण प्रदाय योजना को हकीकत ज़मीनी स्तर पर पहुंच नही पाते

5.1 Annexure (रिफ्रेंस)

2022-23 के यूनियन बजट

विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक बजट में दिव्यांग व्यक्तियों सहित उनकी विविधता वाले सभी लोगों को शामिल करने की उम्मीद है ताकि वे दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में भाग लेने के लिए सशक्त हो सके नई दिल्ली: भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है जो 2007 से दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है. इसका मतलब है कि यूएनसीआरपीडी का अनुपालन करने के लिए देश को बाधाओं को दूर करने की जरूरत है. विशेषज्ञों के अनुसार इसमें न केवल

जागरूकता बढ़ाना और कलंक और भेदभाव को खत्म करना शामिल है बल्कि उनके अधिकारों का एहसास करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक धन आवंटित करना भी शामिल है जो कि एक समावेशी सरकारी बजट है. विशेषज्ञों के अनुसार एक समावेशी बजट में सरकार की राजस्व सृजन (कर और गैर-कर स्रोतों से) और व्यय शामिल होते हैं और सभी लोगों को उनकी विविधता में लाभ होता है. इसमें अन्य लोगों के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं.

हालांकि विशेषज्ञों ने बताया है कि भले ही कोविड-19 महामारी दिव्यांग व्यक्तियों पर भारी पड़ गई है उनके सामने आने वाली बाधाओं को देखते हुए उनके लिए बजट ज्यादातर पिछले तीन सालों में स्थिर रहा है. वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) के अनुपात के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवंटन में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है.

बजट 2022-2023 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवंटन और घोषणाएं

साल 2022-23 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुल आवंटन 2,172 करोड़ है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.0084 प्रतिशत है. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह 2021-22 में 0.0093 प्रतिशत से गिर गया है. जबकि 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आवंटन रुपये के साथ 0.0097 प्रतिशत था. पीडब्ल्यूडी के लिए निर्धारित कुल राशि के रूप में 2,180 करोड़ है.

सेंटर फॉर बजट गवर्नेंस एंड एकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) द्वारा किए गए केंद्रीय बजट के विश्लेषण के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आवंटन तीन विभागों के तहत प्रमुख रूप से प्रदान किया जाता है-

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग को 1,212 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमे कई योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से 670 करोड़ रुपये जिसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 290 करोड रुपये.

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन दिव्यांगों के वेलफेयर की निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है. इसमें सभी पहचान किए गई दिव्यांगों की सहायता और पुनर्वास जरूरतों को शामिल किया गया है. कोई पीछे नहीं रहेगादिव्यांगों के लिए 2022-23 के यूनियन बजट में क्या था यहां इसके बारे में बताया गया है

विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक बजट में दिव्यांग व्यक्तियों सहित उनकी विविधता वाले सभी लोगों को शामिल करने की उम्मीद है ताकि वे दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में भाग लेने के लिए सशक्त हो सकें नई दिल्ली: भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है जो 2007 से दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है. इसका मतलब है कि यूएनसीआरपीडी का अनुपालन करने के लिए देश को बाधाओं को दूर करने की जरूरत है. विशेषज्ञों के अनुसार इसमें न केवल जागरूकता बढ़ाना और कलंक और भेदभाव को खत्म करना शामिल है बल्कि उनके अधिकारों का एहसास करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक धन आवंटित करना भी शामिल है जो कि एक समावेशी सरकारी बजट है. विशेषज्ञों

के अनुसार एक समावेशी बजट में सरकार की राजस्व सृजन (कर और गैर-कर स्रोतों से) और व्यय शामिल होते हैं और सभी लोगों को उनकी विविधता में लाभ होता है. इसमें अन्य लोगों के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं दृष्टि बाधित ,कम दृष्टि , कुष्ठ से ठीक हुए व्यक्ति,सुनने में परेशानी ,महसूस करने वाले, लोकोमोटर दिव्यांगता,बौनापन,बौद्धिक दिव्यांगता,मानसिक बिमारी ,ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां ,स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी,मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच और लेंन्गुएज डिसेबिलिटी,थैलेसीमिया , हीमोफीलिया,सिकल सेल रोग,अनेक दिव्यांगताएं जिनमें (बधिर-अंधापन एसिड अटैक पीड़ित पार्किंसन रोग) शामिल हैं.

डीईपीडब्ल्यूडी भारत में (यूएनसीआरपीडी) के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग भी है. दिव्यांग व्यक्तियों के वेलफेयर के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए आवंटित बजट डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरणों की खरीद / फिटिंग दीनदयाल डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन स्कीम नेशनल ट्रस्ट सपोर्ट इंडियन स्पाइनल कोर्ड इंजरी सेंटर शामिल हैं और दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना 2022-23 में 635 करोड़ रुपये है. यह करीब एक करोड़ रुपये की बढ़ोतरी है. 2021-22 में आवंटन के संशोधित अनुमान 172.69 करोड़ की तुलना में 462.31 करोड़ रुपये था.स्वायत्त निकाय जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस डिसेबिलिटी स्टडीज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया और इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इनक्लूसिव एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट टू नेशनल संस्थानों को रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस आवंटन में 431 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है.

हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आवंटन में भारी कमी आई है जिसमें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास शामिल हैं. 2021-22 के संशोधित अनुमान में 60 करोड़ रुपए मात्र 2022-23 के बजट अनुमान में 0.10 करोड़ के लिए बजट कम कर दिया गया है. एलिम्को सरकार द्वारा कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले उपकरणों और उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति करती है. राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास के लिए आवंटन 2021-22 के आरई में शून्य से बढ़कर बीई 2022-23 में 1 लाख हो गया है.दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में भी लगभग रुपये की कमी देखी गई है. 2021-22 के संशोधित अनुमान में 110 जिसे घटाकर 2022-23 के बजट में 105 करोड़ है.केंद्रीय बजट 2022-23 में दिव्यांगों से संबंधित भाषण में केवल एक विशिष्ट घोषणा थी जो आयकर अधिनियम के 80 में संशोधन करने के लिए थी. यह दिव्यांग व्यक्तियों के माता-पिता/अभिभावकों को बीमा पॉलिसी (टर्म लाइफ इंश्योरेंस) के लिए आयकर से छूट देता है जो दिव्यांग बच्चों को उनके जीवनकाल के दौरान भी एकमुश्त राशि या वार्षिकी (हर साल भुगतान) प्रदान करता है. इससे पहले आयकर अधिनियम की धारा 80 माता-पिता या अभिभावक को कर कटौती के लिए प्रदान करती थी अगर (माता-पिता या अभिभावक) की मृत्यु पर दिव्यांग व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी उपलब्ध हो.सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस चेन्नई स्थित एक संगठ जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए काम करता है के अनुसार यह एक सकारात्मक घोषणा है क्योंकि ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां अलग-अलग आश्रितों को पेमेंट की जरूरत हो सकती है

शासकीय अधिकारियों के साथ संपर्क

1. जनपद पंचायत स्पेक्टर श्री संजीव डहरिया सर के साथ मिटिंग किया
2. NRLM बिहान कार्यलय के प्रोग्राम मैनजर वैभव शर्मा सर के साथ मिटिंग किया
3. जिला पंचायत मुख्य कार्य पालन अधिकारी मयंक महोदय जी के साथ संपर्क किया ।
4. पंचायत अधिकारियों से मिटिंग किया
5. नरेगा कार्यलय प्रोग्राम ऑफिसर माहोदया जी से मिटिंग की गई
6. कौशल प्रशिक्षण अधीक्षक लष्मी माहोदया से मिटिंग किया
7. बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के साथ संपर्क किया
8. विकलांग जन व पंचायत अधिकारी के साथ मिटिंग किया दतरेंगा में
9. धरसींवा ब्लाक के आशा वर्कर के साथ मिटिंग की गयी
10. ग्राम पंचायत डोमा के पंचायत अधिकारियों के साथ मिटिंग किया
11. ग्राम पंचायत कांठाठीह में पंचायत प्रतिनिधि के साथ मिटिंग किया
12. आंगन बाड़ी कार्यकता के साथ मिटिंग किया
13. मेन्टर ईश्वर छटा सर के साथ मिटिंग किया
14. जिला स्तर विकलांग संगठन के साथ मिटिंग किया
15. गैर सरकारी संस्था के अधिकारी गिरजा जलछत्री से मिटिंग किया
16. गैर सरकारी संस्था समर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट के रिम्पा माहोदया से मिटिंग किया
17. गैर सरकारी संस्था सामर्थ्य जन कल्याण समिति राकेश ठाकुर सर के साथ मिटिंग किया

www.ncpedp.org 011 2622 1276 @ncpedp_india